

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	आषाढ़ 25, बुधवार, शाके 1947- जुलाई 16, 2025 Asadha 25, Wednesday, Saka 1947- July 16, 2025	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डों, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, जून 13, 2025

संख्या जविप्रा/उपा./जोन-14/2025/डी-1279 :-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (3) के अनुसरण में मास्टर विकास योजना 2011, जयपुर क्षेत्र के भू-उपयोग में निम्नलिखित विवरण के अनुसार उपान्तरण हेतु दिनांक 15.01.2025 के द्वारा आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किए गए थे, 15 दिवस की निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। प्रकरण मेजयपुर विकास प्राधिकरण स्तरीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति की 33वीं बैठक दिनांक 18.03.2025 के द्वारा भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

-:उपान्तरण:-

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1062/1058, 1069/1029, 1071/1057, 1073/1066 क्षेत्रफल 1123.00 व.मी. का आवासीय भू-उपयोग से मिश्रित प्रयोजनार्थ (32.62 प्रतिशत व्यावसायिक एवं 67.38 प्रतिशत आवासीय) भू-उपयोग परिवर्तन किया जाता है।

यह विज्ञप्ति आज दिनांक 13.06.2025 को जारी की गई। उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक एवं राज्य के 2 प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात् ही मान्य होगी।

निशान्त जैन,
सचिव।